प्रति
माननीय मंत्री महोदय
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास

29 जनवरी 2019

विषय: सभी गैस पीड़ितों के सही मुआवजे के कानूनी हक़ को सुरक्षित करने के लिए आप से अपेक्षित कार्यवाही बावत ।

महोदय,

भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस काण्ड के पीड़ितों के बीच काम कर रहे हम चार संगठन आपके पुन: निर्वाचित होने और आपकी पार्टी द्वारा प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आपको बधाई देते हैं । इस बार के चुनाव में भोपाल के सभी चुनाव क्षेत्रों के गैस पीड़ितों और उनके परिवारजनों ने आपकी पार्टी के समर्थन में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया था । अत: नई सरकार से और विशेषकर आपसे गैस पीड़ितों को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं । इस चिट्ठी के माध्यम से हम आपके समक्ष तमाम गैस पीड़ितों की आप और आपकी पार्टी की सरकार से सबसे पहली उम्मीद पेश करना चाहते हैं । पिछले 34 सालों से सही मुआवज़े के कानूनी हक़ से वंचित भोपाल के 5 लाख से अधिक गैस पीड़ितों की यह पहली उम्मीद है कि आप और आपकी पार्टी की सरकार सही मुआवज़े के मसले पर समयबद्ध तरीके से निम्न कदम उठाएगी :

1. यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, यू एस ए एवं /अथवा दी डाव केमिकल कम्पनी, यू एस ए से अतिरिक्त मुआवज़े के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारामार्च 2011 में सर्वोच्च न्यायालय में दायर सुधार याचिका में, गैस काण्ड की वजह से हुई मौतों और स्वास्थ्य को पहूँचे नुकसान के आँकड़ों को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के पास उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर सुधारने के लिए निर्देश दें ।

2. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुधार याचिका में सुधार के उपरांत यही सुधार केंद्र सरकार द्वारा दायर सुधार याचिका में करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को पत्र लिखें ।

3. यूनियन कार्बाइड कारखाने से रिसी मिक गैस की वैज्ञानिक जानकारी और गैस राहत अस्पतालों के रिकार्ड के आधार पर सभी गैस पीड़ितों को स्थाई तौर पर क्षतिग्रस्त मानते हुए प्रत्येक गैस पीड़ित को कम से कम पाँच लाख रूपए मुआवज़े में देने की अनुशंसा करते हुए केन्द्र सरकार को पत्र लिखें | इस सम्बन्ध में 8 जनवरी 2012 को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमन्त्री द्वारा तत्कालीन प्रधान मन्त्री को प्रेषित पत्र (संलग्न 1) द्रष्टव्य है |

4. गैस पीड़ितों की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर अब तक एक्स ग्रेशिया राशि से वंचित सभी गैस पीड़ितों को कम से कम 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया राशि जल्द से जल्द बैंक एकाउंट में जमा की जाए और इस एक्स ग्रेशिया राशि को उनको मिलने वाली अंतिम मुआवजे की राशि में समायोजित किया जाए | इस सम्बन्ध में हम संगठनों द्वारा मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र (संलग्न 2) द्रष्टव्य है |

चुनाव से पहले एवं चुनाव के दौरान सही मुआवजे के सवाल पर आपके द्वारा दिए गए स्पष्ट आश्वासनों से ही हम संगठनों का यह विश्वास बना है कि 3 दशकों से ज्यादा अपने वाजिब कानूनी हकों से वंचित गैस पीड़ितों को सही मुआवजा मिल सकेगा |

इसी आशा के साथ

हम हैं,

रशीदा बी
रशीदा बी
भोपाल गैस पीड़ित स्टेशनरी कर्मचारी संघ 9425688215

नवाब खाँ
नवाब खाँ
भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा
9165347881

Satinath Sarangi
रचना ढींगरा, सतीनाथ षडंगी
भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन 9826167369

नौशीन खान
डाव-कार्बाइड के खिलाफ बच्चे

पता: 44 संत कवरराम नगर, बैरसिया रोड, भोपाल, म. प्र. 462018